



न्यायालय राजस्व मण्डल गवालियर मध्य-प्रदेश

R - 2057-II/13  
निगरा नी प्र०५०

ल 013

ed 10/-  
27/13

विटवा पाल तन्य गिदिया पाल निवासी -  
प्रकाश बहौरा जिला छतरपुर मध्य०

... निगरा निकेता  
श्रीर्थोकर्ता

बनाम

मध्य-प्रदेश शासन

... प्रति प्रार्थी

निगरा नी विष्ट आदेश श्रीमान् अनुविधानीय

अधिकारी महोदय लवक्ष्मणर/गौरिहर, जिला  
छतरपुर जो विविध प्र०५० 2543/बी-121/10-11  
दिनांक 31.10.2013 को पारित किया गया

निगरा नी मध्य० कृष्ण प्रयोजनो के लिये उपयोग  
को जारी भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों  
को प्रदान किया जाना इक्षेष्ठ उपर्याप्त अधिनियम  
1984 के प्राक्तानो के अनुसार ।

कावालन कमिटी, शासन अम्भाग,  
स्टाट एस्टेट कमिटी, शासन अम्भाग,  
कावालन कमिटी (प्र०५०)


(३)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2057—दो / 2013

जिला—छतरपुर

विटवा पाल विरुद्ध मध्यप्रदेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<b>22-08-2019</b>	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर गौरिहार, जिला—छतरपुर के विविध प्रकरण क्रमांक 2543/बी—121/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 31—01—2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10—10—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	  <p>(जे.प्र. जैन) सदस्य</p>